फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना नवाबगंज

दिनांक :- 21.08.2024

थाना नवाबगंज पुलिस व साइबर सेल द्वारा WHATS APP के माध्यम से आम जनो का फोन हैक कर गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं-207/24 धारा -318(4) BNS व 66 (B), 66(C), 66(D) IT ACT का अनावरण करते हुए साइबर क्राइम मे लिप्त 06 युवकों को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गयी और एक बडे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया।

घटना का विवरण:- दिनांक 18.08.2024 को थाना नवाबगंज पर श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी सिकन्दरपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ ने प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया कि वादिया व वादिया के ड्राइवर मनोज कुमार पुत्र आशाराम निवासी जाकर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट नवाबगंज का मोबाइल धोखा धड़ी करके व्हाट्सएप को किसी APP पर ऐड कर देना जिससे मोबाइल हैक कर गोपनीय/पर्सनल सूचनाये अज्ञात व्यक्ति को भेज कर पैसा कमाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 207/2024 धारा 318(4) बीएनएस व 66बी/66सी/66डी आईटी एक्ट बनाम राहुल पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 09 नफर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। साइबर तकनीकी जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त WEBSITE WAHO.PRO का डोमेन पंजीयन रजिस्ट्रार Dynadot Inc होना ज्ञात हुआ है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के कैलिफ़ोर्नियां प्रान्त के San Moteo शहर में है । उक्त WEBSITE का पंजीयन Dynadot Ins पर दिनाँक-12.09.2023 को हुआ है। WAHO. PRO WEBSITE का IP-Address-104.21.84.239 है । जो कि कैलिफॉर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर का है। उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम तकनीकी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित सर्विस प्रोवाइडर व लॉ इनफोर्समेन्ट एजेन्सियो से पत्राचार किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- पुलिस टीम द्वारा सयुक्त रुप से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उक्त नेटवर्क में अन्य कई व्यक्तियो की सलिप्त्ता है। जिनको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि, कतिपय समाज विरोधी संगठित साइबर आपराधियो द्वारा डेटा चोरी करना व अन्य अवैध गतिविधियो के उद्देश्य से शिक्षित नवयुवको को घर बैठे पैसा कमाने का ऑफर देकर WAHO.PRO नामक APP के माध्यम से जनता के लोगो के WHATS APP एकाउन्ट हैक करा लिये जाते है और उनको प्रति हैक एकाउन्ट प्रति 24 घंटे पर 06 रुपये प्रदान किये जाते है। जो उक्त हैकरो के खाते मे आते है और इस प्रकार उक्त WAHO.APP को संचालित करने वाले लोगो द्वारा जनता के WHATS APP एकाउन्ट के डेटा चोरी करने व अन्य अवैध गतिविधियो को संचालित करने में उपयोग किया जाता है।

प्रकरण का अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रा0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह थाना नवाबगंज मय फोर्स
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव साइबर क्राइम थाना
3. मु0आरक्षी रविन्द्र प्रताप सिहं साइबर क्राइम थाना
4. आरक्षी अरविन्द यादव साइबर क्राइम थाना

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 21.08.2024

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/2024 धारा 363/366/376/323/506/343 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST ACT में नामजद/वांछित/एचएस राजू कश्यप पुत्र कैलाश को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, **श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सतेन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 65/2024 धारा 363/366/376/323/506/343 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST ACT से सम्बन्धित नामजद/वाँछित अभियुक्त राजू कश्यप पुत्र कैलाश निवासी पृथ्वीदरवाजा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 21.08.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.राजू कश्यप पुत्र कैलाश निवासी पृथवी दरवाजा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ हाल निवासी चिलौली पाठान कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

वादिया मुकदमा की पुत्री को अभियुक्त राजू द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 366 भादवि0 व 3(2)v SC/ST ACT पंजीकृत किया गया था। विवेचना क्षेत्राधिकारी कायमगंज महोदय द्वारा संपादित की जा रही थी विवेचना के क्रम में बयान पीड़िता व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 363/376/323/506/343 IPC व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी करते हुए नामजद/वांछित अभियुक्त राजू कश्यप पुत्र कैलाश निवासी पृथ्वी दरवाजा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपनी सफाई वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूँगा।

अभियुक्त राजू कश्यप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –:-

1. अ0सं0 0103/2019 धारा 120-B, 392, 411, भादवि0 कोतवाली कायमगंज
2. अ0सं0 0106/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली कायमगंज
3. अ0सं0 0261/2019 धारा 356, 379, 411 भादवि0 कोतवाली कायमगंज
4. अ0सं0 0276/2020 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट कोतवाली कायमगंज
5. अ0सं0 0001/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली कायमगंज
6. अ0सं0 0335/2023 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि0,3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) 3(1)(घ),3(1)(द), 3(2)(va) 3(2)v SC/ST ACT कोतवाली कायमगंज
7. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 363/366/376/323/506/343 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST ACT कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 कृष्ण कुमार कश्यप
2. का0 अनुज शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

श्री एम॰ एल॰ इण्टर कालेज सिरौंज
फर्रुखाबाद

गारन्टेड पेंशन प्लान

शाखा - जरारी

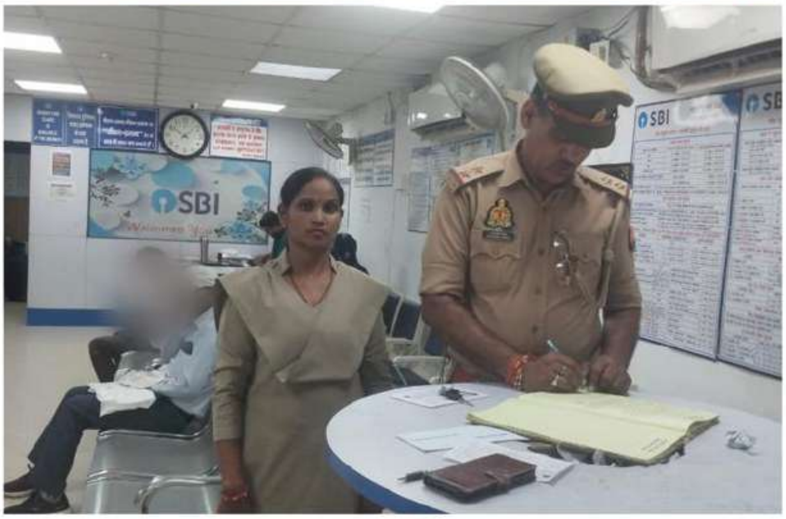
SBI

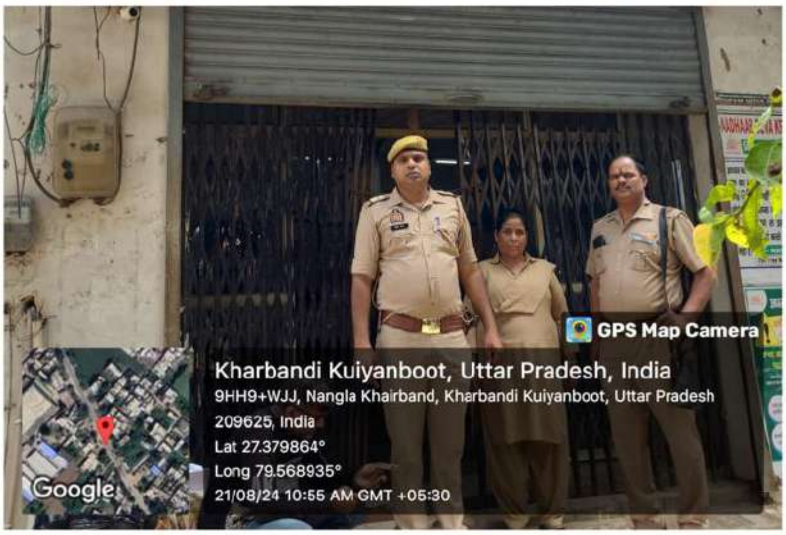
GPS Map Camera
Kharbandi Kuiyanboot, Uttar Pradesh, India
9HH9+WJJ, Nangla Khairband, Kharbandi Kuiyanboot, Uttar Pradesh
209625, India
Lat 27.379864°
Long 79.568935°
21/08/24 10:55 AM GMT +05:30
Google